रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1146]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2016/वैशाख 22, 1938**
No. 1146]	**NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/ VAISAKHA 22, 1938**

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2016

का.आ. 1715(अ).—यत : जोन क (वाल्ड सिटी) की दिल्ली/क्षेत्रीय विकास योजना के लिए दिल्ली मुख्य योजना में इसके अन्तर्गत उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22.04.2015 की सार्वजनिक सूचना का.आ.सं. 1062(अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपतियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में 28 प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित ईएम, डीडीए की अध्यक्षता में पूछताछ और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया और इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित किया गया।

3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, जोन-क की दिल्ली – 2021/क्षेत्रीय विकास योजना के लिए मुख्य योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से जोन - क (वाल्ड सिटी) की दिल्ली-2021/क्षेत्रीय विकास योजना के लिए उक्त मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन:

परदा बाग क्षेत्र में निम्नलिखित (i) 9124.25 वर्ग मीटर (ii) 607.12 वर्ग मीटर (iii) 5409.59 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूमि उपयोगों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित हैः-

क्र.सं.	स्थान	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	भूमि उपयोग (दि.मु.यो. 2021)	भूमि उपयोग जिसमें परिवर्तन किया जाना है	सीमाएं
.1	परदा बाग में परदा लेडीज पार्क के समीप	9124.25	मनोरंजनात्मक (पार्क/खुले स्थान)	आवासीय	उत्तरः निषाद राज मार्ग दक्षिणः घटा मस्जिद रोड़, पूर्वः हैप्पी स्कूल, पश्चिमः नेताजी सुभाष मार्ग
.2	निषाद राज मार्ग के सामने की ओर प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र के साथ-साथ	607.12	मनोरंजनात्मक (खुले स्थान/पार्क)	व्यावसायिक (2-सी)	उत्तरः निषाद राज मार्ग दक्षिणः सामुदायिक सुविधाएं, पूर्वः पार्कहरित/पाकेट पश्चिमः पेट्रोल पंप,
.3	घटा मस्जिद रोड़ के सामने की ओर परदा बाग लेडीज पार्क के समीप	5409.69	मनोरंजनात्मक (पार्क/खुले स्थान)	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक-	उत्तरः परदा बाग लेडीज पार्क, दक्षिणः घटा मस्जिद रोड़, पूर्वः जैन पब्लिक स्कूल, पश्चिमः नेताजी सुभाष मार्ग,

[फा. सं. के-13011/12/2016-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2016

S.O. 1715(E).—Whereas, certain modifications which the central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan of Zone-A (Walled City) regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 1062(E) dated 22.04.2015 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957(61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section(3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, 28 objections/suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Board of Enquiry & Hearing set up by Delhi Development Authority under the Chairmanship of EM, DDA and also approved in the meeting of Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021/Zonal Development Plan of Zone-A (Walled City).

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021/Zonal Development Plan of Zone-A(Walled City) with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The land use of the following area measuring (i) 9124.25 sq.mts. (ii) 607.12 sq.mts. and (iii) 5409.59 sq. mts. in Parda Bagh area is proposed to be changed as per description below:

S. No	Location	Area (in Sq. Mt.)	Land Use (MPD 2021)	Proposed change of land use	Boundaries
1.	Adjacent to Parda Bagh Ladies Park in Parda Bagh	9124.25	Recreational (Park/Open spaces)	Residential	North –Nishad Raj Marg, South-Ghata Masjid Road; East-Happy School; West-Netaji Subhash Marg.
2.	Along proposed Residential area facing Nishad Raj Marg	607.12	Recreational (Park/Open spaces)	Commercial (C-2)	North-Nishad Raj Marg; South-Community Facilities; East-Park/Green Pocket; West-Petrol Pump.
3.	Adjacent to Parda Bagh Ladies Park Facing Ghata Masjid Road	5409.59	Recreational (Park/Open spaces)	Public & Semi-Public	North –Parda Bagh Ladies Park South-Ghata Masjid Road; East-Jain Public School; West-Netaji Subhash Marg.

[F. No. K-13011/12/2016-.DD.I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.